E/C

OIC Gen.

18/11/2022

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 11 (99) शिक्षा–4/वि.प्र/जेपी/2021 जयपुर, दिनांकः 11 नवम्बर, 2022

प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनमें अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश 2022

प्रदेश में कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुये माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा वर्ष 2016 में स्वविवेक से प्रसंज्ञान लिया गया। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6.2.2018 में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में कोटा शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिशा–निर्देश दिनांक 13.6.2018 जारी किये गए। कालान्तर में कोटा जिले को छोडकर अन्य जिलों के लिये दिशानिर्देश दिनांक 31.10.2018 जारी किये गये ।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा याचिका की सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय को अवगत कराया गया था कि कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित "राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2022" में प्रावधान किये जा रहे हैं। विधेयक के संदर्भ में आगामी कार्यवाही प्रकियाधीन है। उपर्युक्त सूओ मोटो याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 99/2016 में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ ने दिनांक 29.6.2022 एवं 12.9.2022 को आदेश जारी कर राज्य सरकार को कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण संबंधी कानून बनने तक प्रदेश के कोचिंग संस्थानों के लिये दिशानिर्देश जारी करने हेतु आदेशित किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.9.2022 की अनुपालना में सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानो पर प्रभावी नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशानिर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं:–

1.0 **जिला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापनाः–** दिशानिर्देशों की कियान्विति हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति गठित होगी जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1. जिला कलक्टर – अध्यक्ष।
2. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक – उपाध्यक्ष।
3. आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/पालिका/परिषद – सदस्य।
4. सचिव, नगर विकास प्राधिकरण/न्यास – सदस्य
5. संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सदस्य।
6. संबंधित जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक – सदस्य
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा – सदस्य ।
8. संबंधित जिले के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के 2 प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा प्रति वर्ष नामित)– सदस्य।
9. अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों में से 2 प्रतिनिधि – (जिला कलक्टर द्वारा प्रति वर्ष नामित)– सदस्य।
10. महिला अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी – सदस्य।

11. संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले दो एनजीओ (जिला कलक्टर द्वारा प्रति वर्ष नामित)– सदस्य।
12. दो मनोवैज्ञानिक/मोटिवेशनल स्पीकर -- (जिला कलक्टर द्वारा प्रति वर्ष नामित)– सदस्य।
13. संबंधित जिले का अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) – सदस्य सचिव।

1.1 प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर द्वारा एक नोडल ऑफिसर (एसडीएम स्तर का अधिकारी) की नियुक्ति की जाएगी जो जिले में संचालित/स्थापित होने वाले कोचिंग संस्थानों/छात्रावासों का सम्पूर्ण रिकार्ड तथा उनके मैनेजमेंट के सदस्य, कर्मचारी, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी आदि का डेटा संधारित करेगा एवं समय समय पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा।

1.2 कोचिंग सेन्टर/छात्रावास में अध्ययनरत विद्यार्थियों/अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु E-Complaint Portal विकसित किया जाएगा एवं शिकायतों का अतिशीघ्र निराकरण किया जाएगा।

1.3 जिला स्तरीय समिति कोचिंग संस्थानों व छात्रावासों/पी.जी. के एसोसियेशन के सदस्यों के साथ मीटिंग कर उपरोक्त गाईडलाईन्स/दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी।

1.4 जिला स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा कोचिंग संस्थानों/छात्रावासों/पी.जी की रेण्डम जॉच की जायेगी तथा रिपोर्ट सुझाव सहित राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

1.5 जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा Psychological Counsellors नियुक्त किये गये हैं अथवा नही ? और उनके द्वारा विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

1.6 प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कोचिंग संस्थानों एवं छात्रावासों को समय समय पर जारी दिशा–निर्देश की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर, पुलिस और प्रशासन के एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगें तथा उनके मोबाईल नम्बर व आफिस के दूरभाष नम्बर प्रकाशित कराये जायेंगे।

1.7 वर्तमान में प्रभावी विभिन्न कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, नगरीय विकास विभाग, नगरीय निकाय द्वारा समस्त कोचिंग संस्थानों एवं छात्रावासों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जावे। यदि किसी कोचिंग संस्थान अथवा छात्रावास संचालकों द्वारा दिशा--निर्देशों की अवहेलना की जावे तो उनके विरूद्ध संबंधित विभागों के वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1.8 विद्यार्थियों व अभिभावकों का जिला प्रशासन से सीधे सम्पर्क स्थापित किये जाने हेतु एक अद्यतन तकनीकी युक्त "समस्या समाधान तंत्र" (technology enabled grievance redressal mechanism) स्थापित किया जायेगा, जिसे अपेक्षित सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से संचालित कराया जावे। इस हेतु तकनीकी अधिकारी व सूचना सहायकों की नियुक्ति वर्तमान में उपलब्ध संसाधनो मे से ही की जायेगी। इस व्यवस्था के प्रबंधन हेतु जिला कलक्टर्स द्वारा एक नोडल अधिकारी (Nodal Officer) की नियुक्ति की जायेगी, जो शिकायतों/समस्याओं का विवरण जिला स्तरीय समिति को 48 घंटे की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। जिला स्तरीय समिति तुरन्त निस्तारण की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित कोचिंग संस्थान/छात्रावास संचालक अथवा विभाग को निर्दिष्ट करेगी। इस हेतु रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

1.9 उपरोक्त व्यवस्थायें समस्त विभागो के समन्वय से सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश के कोचिंग संस्थानो व छात्रावासों से संबंधित पुलिस थाना क्षेत्रों के लिये पृथक–पृथक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी, जिसके समग्र प्रभारी अतिरिक्त

जिला कलेक्टर (प्रशासन) होंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिवस समीक्षा हेतु निर्धारित किया जायेगा।

1.10 आवश्यकता महसूस होने पर संबंधित जिला कलक्टर जिले में उपखण्ड तथा इसके नीचे के स्तरों पर भी निगरानी समिति गठित कर सकेंगे।

2.0 **कोचिंग छात्र–छात्राओं हेतु सुविधा केन्द्र (common facilitation centre) की स्थापना :**

2.1 छात्र–छात्राओं के अध्ययन के तनाव को कम करने हेतु उनके कोचिंग व आवासीय क्षेत्रों के निकट मनोरंजन, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में एक मिनी सुविधा केन्द्र स्थापित किया जावे, जिसके लिये आवश्यक आर्थिक सहयोग जनहित में कोचिंग संस्थानो से लिया जा सकता है।

2.2 प्रशिक्षित व अनुभवी मनोविशेषज्ञों की सुविधा प्रदान कर Wellness Centre संचालित कर छात्र–छात्राओं को उचित मार्गदर्शन दिया जाकर उनके आत्म विश्वास व आत्मबल को पुष्ट किया जावे।

2.3 पुलिस सहायता व मार्गदर्शन कियोस्क की सुविधा प्रदान की जावे जिसमें आवश्यकतानुसार सादा वस्त्र में पुलिस कार्मिकों को नियोजित किया जावे।

2.4 वाई–फाई (Wi-Fi) की सुविधा तथा एक बार में लगभग 100 छात्र–छात्राओं हेतु स्थान की सुलभता सुनिश्चित की जायेगी।

3.0 **साफ–सफाई का बेहतर प्रबंधन :**

3.1 सभी जिलों में संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित कराने हेतु एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जायेगी तथा इस हेतु स्थानीय निकाय द्वारा एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

3.2 कोचिंग संस्थानों के आस–पास बिना अनुमति के अनावश्यक लाउड स्पीकर के उपयोग को जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से नियंत्रित किया जावे।

3.3 वायु प्रदूषण (Air Pollution) को रोकने हेतु परिवहन विभाग, उद्योग विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। इनके द्वारा सम्पादित की गई कार्यवाही की जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नियमित समीक्षा की जायेगी।

4.0 **कोचिंग संस्थानो के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही:–**

4.1 कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों को आईआईटी एवं मेडीकल संस्थानों के अलावा कैरियर के अन्य विकल्पों की जानकारी दिये जाने की व्यवस्था कोचिंग संस्थानों में ही काउंसलिंग (Counselling) या अन्य मुद्रित सामग्री के माध्यम से की जावे ताकि विद्यार्थी अपने भविष्य के प्रति तनावग्रस्त नही हो और वे नया विकल्प चुन सकें। यह व्यवस्था एक कुशल मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

4.2 प्रवेश परीक्षाओं के परिणामों का मिथ्या एवं बढा चढा कर प्रचार नही किया जावे तथा कोचिंग संस्थान IIT-JEE, NEET प्रवेश परीक्षाओं के लिये उनके कोचिंग संस्थानो की (Success Rate) सफलता–दर को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

4.3 कोचिंग संस्थानो द्वारा किसी भी प्रकार के विज्ञापन में यह Disclaimer आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा कि उनका संस्थान चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग इत्यादि कॉलेजों में प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं में चयन की कोई गारंटी नही देता है।

4.4 सभी प्रकार के विज्ञापनों की प्रति जिला स्तरीय समिति को आवश्यक रूप से दी जावे।

4.5 विद्यार्थी की रूचि और Aptitude की जॉच हेतु केरियर एवं व्यावसायिक काउन्सलर की सेवाऐं ली जाकर विद्यार्थियों के Aptitude व रूचि का आंकलन कराया जाकर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के साथ रखा जाकर सर्वोत्तम विकल्प चुनने का अवसर दिया जावे।

5.0 **कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिये आमुखीकरण कार्यक्रम (Orientation programme) के आयोजन हेतु कोचिंग संस्थानों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–**

5.1 शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण, सांस्कृतिक रहन–सहन व सामाजिक ढांचें के बारे में प्रारम्भिक जानकारी दिये जाने हेतु विद्यार्थियों के विभिन्न बैच बनाकर कार्यशाला आयोजित की जावे। कार्यशालाओं के कार्यक्रम व आयोजन की सूचना जिला स्तरीय समिति को जिला कलक्टर के माध्यम से दी जावे।

5.2 कोचिंग संस्थानों के व्यस्त अध्ययन कार्यक्रम के साथ–साथ विद्यार्थियों को यह भी जानकारी दी जावे कि विद्यालय स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए की जाने वाली तैयारी में बहुत अन्तर है, उन्हें वास्तविकता बतलाई जावे।

5.3 विद्यार्थियों को शहर में उनके लिए उपलब्ध support system यथा–कोचिंग फैकल्टी, पी.जी.. व छात्रावासों के संचालनकर्ता, अच्छे मित्र व माता–पिता की सहायता व मार्गदर्शन के महत्व के बारे में जानकारी अवश्य दी जावे।

5.4 कोचिंग संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों का भी आमुखीकरण (Orientation) कराया जावे। जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं के बारे में पूर्ण जानकारी दी जावे।

5.4.1 अभिभावकों को उनके बच्चों के व्यस्त अध्ययन Support systems से भली–भांति परिचय दिया जावे। साथ ही कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, छात्रावासों व पेईंग गेस्ट सुविधाओं व उनके नियमों/प्रतिबन्धों तथा दैनिक व्यय की जानकारी भी दी जावे।

5.4.2 अभिभावकों को यह भी स्पष्ट रूप से समझाया जावे कि ये बच्चों में न तो मानसिक दबाव बनाएं और न ही अपनी अपेक्षाओं को बच्चों के सामने बार–बार दोहराएं। उन्हें इसके नकारात्मक प्रभाव बताये जावें।

5.4.3 अभिभावकों को उनके बच्चों हेतु उपलब्ध अन्य वैकल्पिक केरियर (Career) की जानकारी दी जाये।

5.5 बिन्दु संख्या 4 व 5 के संबंध में जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करायेगा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा काउन्सलिंग प्रणाली विकसित कर ली गई है तथा वह बच्चों व अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध है तथा इसकी जानकारी सभी बच्चों व अभिभावकों को कराई जा रही है।

उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराने हेतु कोचिंग संस्थानों से निम्न प्रारूप में सूचना ली जाकर अपने स्तर पर नियमित समीक्षा कराई जावे।

कोचिंग संस्थान का नाम ..... माह..... वर्ष .....

क्र. सं.	काउंसलिंग का दिनांक	काउंसलर का नाम	काउंसलिंग में सम्मिलित की संख्या		काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होने वालों की संख्या		
			छात्र	अभिभावक	छात्र	अभिभावक	कारण

6.0 जिला स्तरीय समिति द्वारा कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावेगी –

6.1 कोचिंग संस्थान Easy Exit Policy व फीस रिफण्ड के संबंध में विद्यार्थियों व अभिभावकों को संस्थान में प्रवेश–प्रक्रिया के दौरान ही स्पष्ट नीति व प्रकिया के बारे में अवगत करावें तथा इसे ब्रोशर में भी सम्मिलित किया जावे।

6.2 निर्धारित अवधि के बीच में कोचिंग छोडने की स्थिति में विद्यार्थियों को शेष अवधि की जमा फीस मासिक गुणक में 10 दिवस की अवधि में लौटाई जाएगी। यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान के होस्टल में रह रहा है तो होस्टल फीस व मैस फीस आदि भी लौटाई जावेगी।

6.3 कोचिंग संस्थान कक्षा–कक्षों की व्यवस्था इस प्रकार करावें कि उनमें विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक न हो।

6.4 कोचिंग संस्थान टेस्ट रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करावें।

6.5 Batch Segregation से बच्चों में अत्यधिक मानसिक दबाव बढ जाता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः Test result के आधार पर बैच Segregration को रोका जावे।

6.6 कोचिंग संस्थान एक ऐसा Feedback Mechanism तैयार करें जिससे शिक्षक अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों को उनकी कमियों को प्रभावी व सकारात्मक ढंग से बता सके। इस हेतु शिक्षकों को भी मनोविशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जावे।

6.7 विद्यार्थियों की शंकाओं के समाधान उन्हीं शिक्षकों से कराया जावे जिन्होंने कक्षा में पढ़ाया है ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो सके।

6.8 कोचिंग केन्द्र परिसर में ही एक e-learning centre स्थापित किया जावे जो Internet सुविधायुक्त Computer System से सुसज्जित हो। इस केन्द्र पर आकर कोई भी विद्यार्थी, जो lecturers में उपस्थित नहीं हो पाया है वह e- lecturers को record कर सके ऐसी सुविधा सुनिश्चित की जावे।

6.9 कोचिंग संस्थान जो ऑनलाईन कोचिंग सुविधा प्रदान करते हैं वह सभी विद्यार्थियों का समुचित रिकॉर्ड संधारित करे एवं इन विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त नॉडल अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि पर समीक्षा की जावे।

6.10 कोचिंग संस्थान ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना के 2 दिन से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहे, तो कोचिंग संस्थान प्रतिनिधि ऐसे विद्यार्थी/अभिभावक से दूरभाष पर सम्पर्क कर अनुपस्थित रहने का कारण आवश्यक रूप से ज्ञात करे।

7.0 **कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण उत्पन्न हुए मानसिक तनाव एवं अवसाद के निराकरण हेतु मनोचिकित्सकीय सेवा प्रदान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही कराई जावे –**

7.1 विद्यार्थियों को संस्थान में उपलब्ध कराई गई मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन सेवा के प्रति आवश्यक रूप से मुद्रित सामग्री और नियमित सत्र आयोजित कर जागरूक किया जावे। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सम्बल प्रदान करने एवं उनके आत्मविश्वास को उच्च रखने के लिए Clinical and counselling psychology की सुविधा प्रदान करे।

7.2 मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन केन्द्र को Wellness Centre के रूप में संचालित किया जावे।

7.3 Clinical psychologists के नाम व उनके द्वारा Wellness Centre में सेवाएं देने के समय की पूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को अवश्य दी जावे।

7.4 कोचिंग संस्थानों के परिसर में ही पौष्टिक भोजन व अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

7.5 कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए/आपातकालीन सेवाओं के लिए रेफरल सेवाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर्स की सूची प्रदर्शित की जावे तथा विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जावे।

7.6 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक पूर्ण संवेदनशील हों, सकारात्मक सोच के साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को हतोत्साहित नहीं करें। इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के व्यवहार के संबंध में विद्यार्थियों से feedback form लिये जाने की व्यवस्था कराई जावे।

7.7 कोचिंग केन्द्र के अन्दर ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावे तथा विद्यार्थियों को इस सुविधा की जानकारी दी जावे ताकि आवश्यकतानुसार अविलम्ब सुविधा प्राप्त कर सके।

7.8 कोचिंग सेन्टर/छात्रावास संचालक विद्यार्थियों के अस्वस्थ होने की स्थिति में उनके अभिभावकों के आने तक केयर टेकर के रूप में कार्य करेंगे। इस हेतु केयर टेकर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों के वोलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस के वोलंटियर्स एवं सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों का सहयोग लिया जावे।

8.0 कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रवेशित तथा छात्रावास/PGs में निवास करने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –

8.1 PG व छात्रावासों में निवास के लिए एक Uniform formate लागू किया जावे जिसमें विद्यार्थियों का विवरण, अभिभावकों के सम्पर्क की सूचना, मासिक किराया, रिफण्ड की नीति/व्यवस्था, प्रक्रिया, दी जाने वाली सुविधाऐं तथा उनके नियमों का अंकन हो। यह विवरण PG/छात्रावास मालिक/संचालक व विद्यार्थियों के पास रहे।

8.2 कोचिंग संस्थानों/छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाया जावे।

8.3 विद्यार्थियों के कोचिंग संस्थानों तथा छात्रावासों में आने–जाने के समय की कारण सहित प्रविष्टि रजिस्टर में कराई जावे। छात्रावासों एवं कोचिंग संस्थानों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकार्ड यथा व्यक्तिगत पहचान पत्र, मोबाईल नम्बर व आगमन का उद्देश्य इत्यादि का विवरण आवश्यक रूप से आवक–जावक रजिस्टर में संधारित किया जावे।

8.4 सांयकालीन Coaching Classes से आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए छात्रावास/PG के आसपास समुचित रोशनी रखी जावे। अंधेरा नहीं हो।

8.5 कोचिंग संस्थानों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड एवं पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

8.6 शिकायत प्राप्त होने पर छात्रावासों, मैस व टिफिन सेवा प्रदाताओं द्वारा दिये जा रहे भोजन की जांच चिकित्सा एवं रसद विभाग के संयुक्त दल से करवाई जावे।

8.7 स्वच्छ पेयजल व साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

9.0 कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ करने के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जावें–

9.1 विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कोचिंग संस्थानों में जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जावे। इस हेतु जिला स्तरीय समिति अनुभवी मनोविशेषज्ञों का पैनल तैयार करवाकर उनकी सेवाऐं लेने हेतु व्यवस्था करावें।

9.2 तनाव रोकने के संबंध में नियमित रूप से विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाऐं आयोजित कराई जावे। इस हेतु जिला प्रशासन सभी कोचिंग संस्थानों से मासिक कार्यक्रम तैयार करवाकर उसकी प्रभावी क्रियान्विती सुनिश्चित करावें।

9.3 विद्यार्थियों को डराने, धमकाने या दबावपूर्वक कार्य करने के लिए विवश करने वाले शरारती तत्वों के विरूद्ध विद्यार्थियों को संवेदनशील व जागरूक किया जावे। ऐसी स्थिति की शिकायत करने के लिए संबंधित पुलिस थाने का सम्पर्क दूरभाष नम्बर व हैल्पलाईन नम्बर विद्यार्थियों को दिया जावे।

9.4 नियमित Case Study/discussion/conferences आयोजित कर विद्यार्थियों की समस्याओं के निपटने के वैकल्पिक तरीके बताये जावे।

9.5 व्यावसायिक व्यवस्थाओं एवं नीति विषयों पर नियमित कार्यशालायें regular workshops आयोजित की जावे ताकि कोचिंग संस्थान अपने व्यवसाय के साथ-साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा व उनकी समस्याओं का निवारण संवेदनशीलता से कर सके।

10.0 **कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-**

10.1 कोचिंग संस्थान व अभिभावकों के पास विद्यार्थियों का नवीनतम आवास का पता व मोबाईल नम्बर हो।

10.2 छात्रावासो एवं पी.जी सुविधाओं के आस-पास क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त को प्रभावी बनाया जावे।

10.3 पुलिस थानो में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक से हेल्प-डेस्क की व्यवस्था की जावे तथा इसकी जानकारी उन्हें दी जावे।

10.4 नए कोचिंग सेन्टर खोलने/पंजीकरण से पूर्व संस्था इस बात को सुनिश्चित कर लेवें कि कोचिंग सेन्टर के आस पास शराब व अन्य मादक पदार्थ की बिक्री न हो रही हो।

10.5 पहले से स्थापित कोचिंग संस्थानों/छात्रावासें के 100 मीटर के दायरे में शराब व अन्य मादक पदार्थ की बिक्री को रोकने हेतु कोचिंग संस्थान आबकारी विभाग को अवगत करवाकर आवश्यक कार्यवाही करावें।

10.6 कोचिंग संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों व आगन्तुकों के लिये एक मूवमेन्ट रजिस्टर या इलेक्ट्रोनिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था हो ताकि कोचिंग संस्थान में अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर निगरानी हो सके तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति समयबद्ध हो सके तथा जिसकी जानकारी अभिभावकों को हो सके।

11.0 **कोचिंग के विद्यार्थियों की दिनचर्या में साईबर कैफे महत्वपूर्ण घटक है। अतः साइबर कैफे के संबंध में DoIT की अधिसूचना दिनांक 18.4.2017 द्वारा जारी नियमों एवं समय समय पर जारी अन्य नियमों/निर्देशों की पालना जिला कलक्टर एवं कोचिंग संस्थान द्वारा सुनिश्चित कराई जाए।**

12.0 **दिशानिर्देशों की प्रभावी कियान्विति एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय तंत्र :-**

12.1 प्रदेश के कोचिंग संस्थानो में अध्ययनरत विद्यार्थियो की सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने तथा तनाव को कम करने संबंधी उपर्युक्त वर्णित दिशानिर्देशों की कियान्विति की मोनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

1. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग -- अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर का अधिकारी) -- सदस्य
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर का अधिकारी) -- सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी -- सदस्य।

5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य।
6. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य।
7. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य।
8. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी-- सदस्य।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर – सदस्य।
10. अधीक्षक, मनोचिकित्सालय, जयपुर -- सदस्य।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा – सदस्य।
12. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा – सदस्य सचिव।

12.2 उपरोक्त दिशा–निर्देशों की प्रभावी कियान्विति एवं सतत् निगरानी किये जाने हेतु उपर्युक्त राज्य स्तरीय समिति विचाराधीन "राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण" के गठन एवं कार्य संभालने तक नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगी। प्राधिकरण के गठन के पश्चात राज्य स्तरीय समिति का कार्य एवं शक्तियां स्वतः ही प्राधिकरण में समाहित हो जाएँगी तथा जिला स्तरीय समितियां प्राधिकरण के निर्देशन में यथावत कार्य करती रहेंगी।

12.3 जिला स्तरीय समितियों द्वारा समय–समय पर अपनी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी। राज्य स्तरीय समिति इन पर विचार कर दिशानिर्देशों की पालना एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला स्तरीय समिति को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।

12.4 राज्य स्तरीय समिति द्वारा कोचिंग संस्थानों हेतु आधारभूत संरचना, सीटों की अधिकतम संख्या, प्रवेश, फीस रीफण्ड पॉलिसी (Easy Exit Policy), दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में पूरे प्रदेश के लिये प्रावधान/निर्देश पृथक से जारी किये जाएँगे। राज्य स्तरीय समिति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों/छात्रावासों पर अर्थ दण्ड लगाने, नवीन प्रवेश पर रोक लगाने तथा गंभीर अपराध की स्थिति में बन्द करने तक की कार्यवाही कर सकेगी।

12.5 यदि कोई कोचिंग संस्थान या इनसे संबंधित छात्रावास, पी.जी. संस्थान के द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थानों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उन्हें जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यक निर्देश/आदेश जारी किये जाएँगे, जैसा राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रावधानों/निर्देशों द्वारा निर्धारित किये जावें।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना हेतु प्रत्येक जिला प्रशासन, समस्त विभाग, समस्त कोचिंग संस्थान, समस्त छात्रावासों/पी.जी संस्थानों के संचालक, विद्यार्थी व उनके अभिभावकगण आपसी सामंजस्य से प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायें, ताकि प्रदेश में सुरक्षित और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण बने एवं कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले बच्चे मानसिक व शारीरिक कष्ट से पूर्णरूपेण स्वस्थ व प्रसन्नचित्त रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।

कोचिंग संस्थानों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के तहत अब तक हुई कार्यवाही यथावत रहेगी परन्तु भविष्य में चरणबद्ध रूप में उपर्युक्त नवीन दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

यह राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. फिरोज अख्तर)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:--

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महो0
6. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग ।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग ।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा विभाग।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
17. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
18. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
19. निदेशक, निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
20. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे एवं समय समय पर संबंधित को अवगत कराया जावे।
21. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे एवं समय समय पर संबंधित को अवगत कराया जावे।
22. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
23. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
24. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
25. समस्त कोचिंग सेन्टर/छात्रावास द्वारा संबंधित जिला कलक्टर।
26. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा